"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2006—भाद्र 3, शक 1928

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2006

क्रमांक 01/परिसीमन/04/755.—भारत परिसीमन आयोग की अधिसूचना 282/छ.ग./2006, दिनांक 25 अगस्त, 2006 का संशोधन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

आलोक शुक्ला,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत परिसीमन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2006—3 भाद्रपद 1928 (शक)

शुद्धि-पत्र

फाइल सं. 282/छत्तीसगढ़/2006.—भारत के राजपत्र और छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में दिनांक 2 जून, 2006 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 282/छत्तीसगढ़/2006 में, छत्तीसगढ़ राज्य के विधान सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार दर्शाने वाली "सारणियों क और ख" में निम्नलिखित सुधार किए जाएंगे :

(क) आदेश की सारणी क (अंग्रेजी अनुवाद) में, 2- मनेन्द्रगढ़ विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "चिरीमिरी नगर पालिका निगम" को "बैकुण्ठपुर तहसील (भाग)- चिरीमिरी नगर पालिका निगम" के रूप में पढ़ा जाएगा.

(ख) आदेश की सारणी क में, 20-रामपुर (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में (ii) भैसमा रा.नि.मं. (रजगामार सी टी को सम्मिलित करते हुए) को "(ii) भैसमा रा. नि. मं., (10-रजगामार पटवारी सर्किल के झगरहा (शहरी) ग्राम को छोड़कर, जो कि कोरबा नगर निगम का एक भाग है) रजगामार सी टी को सम्मिलित करते हुए", के रूप में पढ़ा जाएगा.

(ग) आदेश की सारणी क में, 23-पाली-तानाखार (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, (ii) पोंड़ी-उपरोड़ा रा.नि.मं. को, "(ii) पोंड़ी-उपरोड़ा रा. नि. मं. (15-जुराली पटवारी सर्किल के कसनिया (शहरी) और जुराली (शहरी) ग्रामों को छोड़कर, जो कि कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र के भाग हैं)", के रूप में पढ़ा जाएगा.

(घ) आदेश की सारणी क (अंग्रेजी अनुवाद) में 24-मरवाही (अ. ज. जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, मरवाही तहसील में गौरेला रा. नि. मं. का "23-गौरेला पटवारी सर्किल" सम्मिलित किया जाएगा.

(ङ) आदेश की सारणी क (अंग्रेजी अनुवाद) में, 47-धरसींवा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "(i) धरसींवा-1 रा.नि. मं. (धरसींवा नगर पंचायत को सम्मिलित करते हुए)" को, "(i) धरसींवा-1 रा नि.मं." के रूप में पढ़ा जाएगा.

(च) आदेश की सारणी क (अंग्रेजी अनुवाद) में, 62-पाटन विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, कुम्हारी नगर पालिका को "धमधा तहसील (भाग)-कुम्हारी नगर पालिका" के रूप में पढ़ा जाएगा.

(छ) आदेश की सारणी क में, धमधा तहसील में 67-अहिवारा (अ. जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में, "भिलाई चरोदा (नगर पालिका) (भाग)" को "भिलाई चरोदा नगर पालिका (भाग)-वार्ड सं. 3 और 5" के रूप में पढ़ा जाएगा. "नगर पालिका भिलाई चरोदा", जो पहले I धमधा तहसील के एक भाग के रूप में दर्शाया गया था, अब उसे II दुर्ग तहसील (भाग) "नगर पालिका भिलाई चरोदा (भाग) वार्ड सं. 1 और 2" के रूप में पढ़ा जाएगा.

(ज) आदेश की सारणी क (हिन्दी अनुवाद) में, 76-डोंगरगांव विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "(i) लाल बहादुर नगर रा.नि.मं." को "(i) लाल बहादुर नगर रा. नि. मं. (डोंगरगढ़ नगर पालिका को छोड़कर)" पढ़ा जाएगा.

(झ) आदेश की सारणी ख में, 10 -बस्तर (अ. ज. जा.) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में "84-भानपुरी (अ. ज. जा.)" का नाम "84-नारायणपुर (अ. ज. जा.)" के रूप में पढ़ा जाएगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(शंगारा राम)
सचिव.

New Delhi, Dated 25th August 2006—3 Bhadrapada, 1928 (Saka)

CORRIGENDUM

F. No. 282/CGH/2006.—In "Table A and B" showing the extent of the Assembly and Parliamentary Constituencies of the State of Chhattisgarh in Notification No. 282/CGH/2006 published in the extraordinary issue of the Chhattisgarh State Gazette and the Gazette of India dated 2nd June, 2006 the following corrections shall be made :

(a) In Table A of the Order (English version) in the extent of 2-Manendragarh AC "Chirimiri Nagar Palika Nigam" shall be read as "Baikunthpur Tehsil (Part)-Chirimiri Nagar Palika Nigam."

(b) In Table A of the Order, in the extent of 20-Rampur (ST) AC (ii) Bhaisma R. I. Circle (including Rajgamar CT) shall be read as "(ii) Bhaisma R. I. Circle (Except Village Jhhagarha (Urban) of PC 10-Rajgamar, which is a part of Korba MC) including Rajgamar CT".

(c) In Table A of the Order, in the extent of 23-Pali-Tanakhar (ST) AC. "(ii) Podi-Uprora R.I. Circle" shall be read as (ii) Podi-Uprora R. I. Circle (Except Villages Kasaniya (Urban) & Jurali (Urban) of PC 15-Jurali, which are part of Katghora NP Area)".

(d) In Table A of the Order (English version) in the extent of 24-Marwahi (ST) Assembly Constituency, "23-Gaurella PC" of Gaurella RIC in Marwahi Tehsil shall be included.

(e) In Table A of the Order (English version) in the extent of 47-Dharsiwa AC. "(i) Dharsiwa-1 RIC (including Dharsiwa NP)" shall be read as "(i) Dharsiwa-1 RIC".

(f) In Table A of the Order (English version) in the extent of 62-Patan AC. Kumhari (M) shall be read as "Dhamdha Tehsil (Part)-Kumhari (M)".

(g) In Table A of the Order in the extent of 67-Ahiwara (SC) AC in Dhamdha Tehsil. "Bhilai Charoda (M) (Part)" shall be read as "Bhilai Charoda (M) (Part)-Ward No. 3 & 5". "Nagar Palika Bhilai Charoda" which was earlier shown as a part of I. Dhamdha Tehsil now shall be read as "Nagar Palika Bhilai Charoda (Part) Ward No. 1 & 2" of II, Durg Tehsil (Part).

(h) In Table A of the Order (Hindi version) in the extent of 76-Dongargaon AC. "(i) Lal Bahadur Nagar RIC" shall be read as "(i) Lal Bahadur Nagar RIC (excluding Dongargarh M)".

(i) In Table B of the Order in the extent of 10-Bastar (ST) Parliamentary Constituency the name of "84-Bhanpuri (ST)" shall be read as "84-Narayanpur (ST)."

By order,

Sd/-
(SHANGARA RAM)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित [illegible] 2006.